HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5217/2024

Ankit S/o Jagram, Aged about 23 Years, R/o Tejpura, Tehsil Mundawar, District Alwar, Rajasthan.

----Claimant/Appellant

Versus

1. Ridda Dev Singh S/o Shyamdev Singh, R/o Bharda Kalan, Police Station Kheragarh, District Rajnand Gaon, Chattisgarh. (Driver of Vehicle Truck No. RJ-14-GK-6859)
2. Ravindra Kumar S/o Jagdish Prasad, R/o House No.13, Alkapuri, Police Station Aravali Vihar, District Alwar, Rajasthan. (Owner of Vehicle Truck No. RJ-14-GK-6859)
3. The New India Insurance Company Limited through Regional Manager office Nehru Place, Tonk Road, Jaipur. (Insurance Company of Vehicle Truck No. RJ-14-GK-6859, Effective From 07-03-2019 To 06-03-2020, Policy No. 330600311802000086 90)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Santosh Kumar Soni, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sanjay Kumar Singhal, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

07/05/2026

1. अपीलार्थी अंकित द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, क्रम–03, कोटपूतली, जिला जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या–246/2021, अंकित बनाम रिद्द देव सिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी अंकित द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 1,17,40,000/– रुपये क्लेम

प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थी को कुल 12,09,805/– रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की मासिक आय 6,750/– रूपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की है, जबकि अपीलार्थी वक्त घटना दूध व सब्जी बेचने का कार्य कर 80,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय वृद्धि बाबत कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में भी समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 80 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 08.11.2019 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 19 वर्ष की आयु का होना बताते हुए दूध व सब्जी बेचने का कार्य करके 80,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु अपनी आय के संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक मानते हुए उसकी आय न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर 6,750/– रुपये मासिक निर्धारित की गई है। जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में भविष्य में होने वाली आय की कोई बढ़ोतरी नहीं की

गयी है। इस बिन्दु पर विद्वान अधिकरण का निर्णय संशोधित किये जाने योग्य है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **नेशनल ईंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्यः (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त निर्धारित मासिक आय 6,750/– रुपये पर 40 प्रतिशत की भविष्य–वृद्धि किया जाना अपेक्षित है। 6,750/– रुपये का 40 प्रतिशत 2,700/– रुपये होता है। उक्त 40 प्रतिशत राशि को अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय में जोड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की कुल मासिक आय 9,450/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी का दांया पैर घुटने के नीचे से काटा जाना तथा शरीर के अन्य भागों पर चोटें आना जाहिर है। जिनके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 80 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–14 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में 80 प्रतिशत की कमी होना माना है। अतः हम भी अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में 80 प्रतिशत की कमी होना प्रमाणित पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 9,450/– रुपये का 80 प्रतिशत 7,560/– रुपये होती है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 19 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा भी अपने निर्णय में 18 के गुणक का प्रयोग किया गया है, जो उचित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति 7,560 x 12 x 18 = 16,32,960/– रुपये होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 5,505/– रूपये, 19 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 600/– रूपये प्रतिदिन की दर से 11,400/– रूपये तथा पौष्टिक आहार की मद में 9,500/– रूपये की राशि दिलवाई गई है, जिनमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 15,000/– रूपये की राशि दिलवायी गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 80,000/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवायी गई है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में 80,000/– रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझती है।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को अस्पताल आवागमन पर व्यय हुई राशि की मद में 2,000/– रूपये की राशि दिलवायी गई है, जो कम प्रतीत होती है तथा जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम, अस्पताल आवागमन की मद में 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को परिचारक/सहायक की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। दुर्घटना के पश्चात अपीलार्थी का दांया पैर घुटने के नीचे से काटा जाना तथा शरीर के अन्य भागों में चोटें आना जाहिर है, जिस कारण अपीलार्थी अपना शेष जीवन दूसरों के सहारे जीने हेतु बाध्य हो गया है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी को परिचारक/सहायक की मद में 1,50,000/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. ईलाज के दौरान अपीलार्थी का दांया पैर घुटने के नीचे से कट गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा भविष्य में कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब) लगवाये

जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम 50,000/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. अपीलार्थी को वक्त घटना अविवाहित होना बताया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में अपीलार्थी के विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। दौराने इलाज अपीलार्थी का दांया पैर घुटने के नीचे से काटा जाना जाहिर है। ऐसे में भविष्य में अपीलार्थी के विवाह की संभावनाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मद में हम, अपीलार्थी को 1,00,000/– रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते है।

16. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	भविष्य की आय की क्षति के मद में	16,32,960/– रुपये
2.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	5,505/– रूपये
3.	19 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	11,400/– रूपये
4.	पौष्टिक आहार की मद में	9,500/– रूपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	80,000/– रुपये
6.	भविष्य की सुख–सुविधा की कमी के मद में	80,000/– रूपये
7.	अस्पताल आवागमन की मद में	15,000/– रूपये
8.	परिचायक/सहायक की मद में	1,50,000/– रूपये
9.	कृत्रिम अंग लगवाये जाने की मद में	50,000/– रूपये
10.	भविष्य में विवाह में आने वाली कठिनाईयों की मद में	1,00,000/– रूपये
11.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	21,34,365/– रुपये
12.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	12,09,805/– रुपये
13.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	9,24,560/– रुपये

17. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को 12,09,805/– रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 21,34,365/– रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी

राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

18. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

19. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

20. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

Badal /96s